भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1212

27 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

पथ-विक्रेताओं हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया मोबाइल एप

1212. डॉ. डी. एन. बी. सैंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री जी. सेल्वमः
श्री कुलदीप राय शर्मा
श्री धनुष एम. कुमारः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी. एन. अन्नादुरई

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पथ विक्रेताओं के लिए ऋण-आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक मोबाइल एप का आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मोबाइल-एप के शुरू होने से अनावश्यक कागजी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और पथ-विक्रेताओं के लिए एक सहज और कार्यकुशल अनुभव सुनिश्चित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, देश में विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पीएम-स्वनिधि योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को ऋण संवितरित किया गया है;

(घ) दिसम्बर, 2023 तक इस योजना के अंतर्गत कुल कितने विक्रेताओं को लाभ प्रदान किए जाने का लक्ष्य है;

(ङ) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(च) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के बाद पथ- विक्रेताओं पर पड़े सकारात्मक प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा अधिक से अधिक विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और उनकी जीवन-दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी हां। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून, 2023 को पथ विक्रेताओं (एसवी) के लिए पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप की सहायता से, पथ विक्रेता (एसवी) पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण और सिफारिश पत्र (एलओआर) के लिए आवेदन कर सकता है। पथ विक्रेता अपने ऋण आवेदन की स्थिति और प्राप्त कैशबैक की भी जांच कर सकता है।

(ग): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में पीएम-स्वनिधि योजना के तहत जिन लाभार्थियों के लिए ऋण स्वीकृत और संवितरित किए गए हैं, उनकी संख्या का तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(घ): आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 26.04.2022 के निर्णय के अनुसार, दिसंबर, 2024 तक पहले, दूसरे और तीसरे ऋण के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 42 लाख, 12 लाख और 3 लाख है।

(ङ.) और (च): प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए पथ विक्रेताओं को ज़मानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण

की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 20 जुलाई, 2023 तक इस योजना द्वारा 38.53 लाख पथ विक्रेताओं को सफलतापूर्वक 50.63 लाख ऋण संवितरित किए हैं, जिनकी राशि 6,492.02 करोड़ रुपये है।

(छ): पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में सभी पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत मार्च, 2022 से दिसंबर, 2024 तक ऋणदान बढ़ा दिया गया है। इससे अधिक से अधिक विक्रेता योजना से जुड़ पाएंगे।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक 04 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था, ताकि जीवन स्तर में सुधार के लिए लाभार्थियों के परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा सके।

इसका उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लक्षित करते हुए भारत सरकार की मौजूदा आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। ये योजनाएं हैं - पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, भवन और अन्य निर्माण कर्मी (बीओसीडब्ल्यू), जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना।

*****

27 जुलाई 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1212 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- ।

पीएम-स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत और संवितरित ऋणों के लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की सं.				स्वीकृत ऋण आवेदनों की सं.				संवितरित ऋणों की सं.			
		वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24
1	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	**387**	**90**	**9**	**5**	**395**	**142**	**219**	**31**	**387**	**146**	**187**	**52**
2	आंध्र प्रदेश	1,12,743	70,771	12,198	4,405	1,17,844	83,353	49,516	9,025	1,12,744	82,098	47,349	13,704
3	अरूणाचल प्रदेश	1,588	898	842	278	1,839	878	2,044	705	1,588	1,105	1,798	619
4	असम	14,157	40,621	11,948	6,405	15,816	43,857	23,908	13,449	14,157	42,648	23,463	13,642
5	बिहार	28,859	18,681	3,533	3,094	33,886	15,788	11,964	12,143	28,859	19,534	10,187	7,400
6	चंडीगढ़	2,051	1,408	523	141	2,148	1,573	1,867	474	2,051	1,593	1,890	383
7	छत्तीसगढ़	40,296	6,375	3,826	1,870	41,017	10,074	11,783	3,723	40,296	9,235	11,127	3,790
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,031	213	79	369	1,123	148	435	755	1,031	228	300	788
9	दिल्ली	31,164	10,508	17,598	19,876	33,064	10,378	34,851	29,569	31,164	11,067	27,003	24,821
10	गोवा	1,017	218	64	46	1,028	424	504	132	1,017	393	469	122
11	गुजरात	1,02,348	94,823	45,680	58,239	1,06,706	1,15,538	1,04,451	80,873	1,02,349	1,11,522	99,747	79,996
12	हरियाणा	16,944	9,431	5,009	16,627	17,807	12,710	12,192	33,115	16,944	11,622	12,155	20,723
13	हिमाचल प्रदेश	2,767	593	494	101	2,812	1,243	2,052	399	2,767	1,244	1,997	421
14	जम्मू और कश्मीर	11,517	2,737	878	99	11,898	3,855	5,276	1,082	11,517	4,059	4,868	935
15	झारखंड	22,030	6,823	2,634	2,039	22,551	8,307	8,881	4,134	22,030	8,397	7,440	3,863
16	कर्नाटक	1,07,979	33,618	26,662	30,798	1,14,450	49,920	78,946	51,538	1,07,981	45,358	67,185	49,818
17	केरल	8,052	1,368	1,746	624	8,143	3,381	5,501	1,474	8,053	3,374	5,037	1,538
18	लद्दाख	247	14	61	4	249	78	216	17	247	73	214	19
19	मध्य प्रदेश	3,13,893	1,56,593	62,185	26,827	3,24,145	2,03,634	1,74,921	99,207	3,13,895	1,99,602	1,70,315	65,512
20	**महाराष्ट्र**	**1,49,124**	**48,242**	**1,61,414**	**52,341**	**1,69,513**	**45,225**	**2,39,895**	**89,789**	**1,49,126**	**60,767**	**2,10,871**	**71,450**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की सं.				स्वीकृत ऋण आवेदनों की सं.				संवितरित ऋणों की सं.			
		वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24
21	मणिपुर	6,094	2,393	273	56	6,773	1,874	2,426	214	6,094	2,498	1,746	520
22	मेघालय	253	354	791	159	266	394	1,038	272	253	383	1,017	274
23	मिज़ोरम	445	38	43	31	449	133	132	116	445	135	108	69
24	नागालैंड	1,202	299	204	34	1,214	465	562	69	1,202	467	470	82
25	**ओडिशा**	**27,489**	**7,370**	**2,125**	**889**	**29,263**	**7,724**	**13,005**	**1,878**	**27,489**	**8,983**	**10,653**	**4,259**
26	पुडुचेरी	1,130	116	89	782	1,202	169	567	994	1,130	226	520	950
27	पंजाब	26,661	12,657	3,603	12,445	29,469	10,984	12,529	36,491	26,661	13,260	11,341	19,620
28	राजस्थान	50,330	16,735	2,174	2,253	55,763	13,019	19,199	3,727	50,330	17,012	9,067	11,907
29	सिक्किम	-	1	-	96	-	1	2	110	-	1	-	96
30	**तमिलनाडु**	**87,712**	**74,924**	**19,001**	**4,906**	**1,10,385**	**64,554**	**58,810**	**11,792**	**87,716**	**77,931**	**60,138**	**13,205**
31	तेलंगाना	3,10,483	34,241	8,340	5,437	3,30,584	73,701	97,714	23,916	3,10,494	87,599	88,180	35,790
32	त्रिपुरा	2,609	595	326	78	2,631	1,131	1,048	268	2,609	820	992	336
33	उत्तर प्रदेश	5,63,838	2,22,258	1,48,218	90,843	5,94,320	2,15,203	3,53,561	2,51,223	5,63,930	2,36,744	3,46,322	2,18,763
34	उत्तराखंड	9,111	1,392	2,748	2,527	9,258	1,986	7,362	4,033	9,111	1,909	7,009	3,951
35	पश्चिम बंगाल	2,379	11,207	1,537	15,311	5,217	8,983	4,957	26,961	2,379	11,220	2,685	18,710
	कुल	**20,57,930**	**8,88,605**	**5,46,855**	**3,60,035**	22,03,228	**10,10,827**	13,42,334	**7,93,698**	**20,58,046**	**10,73,253**	**12,43,850**	**6,88,128**

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े 20.07.23 तक

****